



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 11 राँची, बुधवार 30 वैशाख, 1942 (श०)
20 मई, 2020 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 69-81

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

4 फरवरी, 2020

संख्या-13/आई०पी०एस०-106/2019-615--श्री अनुराग गुप्ता, भा०पु०से०, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 30.09.2019 से 09.10.2019 तक कुल-10 (दस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवधि के लिए श्री गुप्ता, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

16 मार्च, 2020

संख्या-13/पी०1-8002/2013 (खंड)- 1359 /सी०, श्री कमल नयन चैबे, भा०पु०से० (1986), महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची (HoPF) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष कार्य पदाधिकारी, पुलिस आधुनिकीकरण, कैम्प नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री चैबे के पदस्थापन अवधि तक के लिए विशेष कार्य पदाधिकारी, पुलिस आधुनिकीकरण, कैम्प नई दिल्ली के पद को पुलिस महानिदेशक के वेतनमान् (पुनरीक्षित वेतनमान्-पे-मैट्रिक्स का लेवल-16) में उत्क्रमित किया जाता है।

संख्या-13/पी०1-8002/2013 (खंड)- 1360 /सी०, श्री एम०वी० राव, भा०पु०से० (1987), महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान् में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची (HoPF) के प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना
11 मार्च, 2020

संख्या०-13/डी०1-109/2018-1276/सी०, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-I-21015/25/2019-IPS.III, दिनांक-17.10.2019 के आलोक में **श्री पी० मुरुगन, भा०पु०से० (2010),** पुलिस अधीक्षक, बोकारो को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) के पद पर योगदान देने हेतु वर्तमान धारित पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

11 मार्च, 2020

संख्या-13/डी०1-115/2018-1277/सी०, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-I-21015/05/2020-IPS.III, दिनांक-31-01-2020 के आलोक में श्री क्रांति कुमार गड़िदेशी, भा०पु०से० (2006), पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०), झारखण्ड, राँची को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के तहत सहायक निदेशक, बी०पी०आर० एण्ड डी० के पद पर योगदान देने हेतु वर्तमान धारित पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

6 फरवरी, 2020

संख्या-12/पी5-1001/2019- 674 /पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर कोटि से पुलिस उपाधीक्षक के पर पर प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति हेतु अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की अध्यक्षता में दिनांक-03.12.2019 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में की गई अनुशंसा पर राज्य सरकार के अनुमोदन के आलोक में निम्नलिखित पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारी को राज्य पुलिस सेवा के मूल कोटि के पद (पुलिस उपाधीक्षक) पर पुनरीक्षित वेतन Level-09 (अपुनरीक्षित वेतनमान पी०बी०-II, 9300-34800, ग्रेड पे-5400/-) में दिनांक-25.03.2015 से वैचारिक रूप से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र०	पुलिस निरीक्षक का नाम	वर्तमान पदस्थापन	जन्म तिथि
1.	श्री गरीबन पासवान	सेवानिवृत्त	21.04.1957

2. यह वैचारिक रूप से प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

6 फरवरी, 2020

संख्या-12/पी5-1003/2019- 675 /पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर कोटि से पुलिस उपाधीक्षक के पर पर प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति हेतु अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की अध्यक्षता में दिनांक-03.12.2019 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में की गई अनुशंसा पर राज्य सरकार के अनुमोदन के आलोक में निम्नलिखित पुलिस निरीक्षक कोटि के पदाधिकारी को राज्य पुलिस सेवा के मूल कोटि के पद (पुलिस उपाधीक्षक) पर पुनरीक्षित वेतन Level-09 (अपुनरीक्षित वेतनमान पी०बी०-11, 9300-34800, ग्रेड पे-5400/-) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र०	पुलिस निरीक्षक का नाम	वर्तमान पदस्थापन	जन्म तिथि
1.	श्री रमोद कुमार सिंह	गढ़वा	31-03-1963

2. उक्त प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति का आर्थिक लाभ पुलिस उपाधीक्षक के पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।

3. यह अधिसूचना माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर याचिका डब्ल्यू०पी० (एस०) संख्या-3792/2016 के आदेश से प्रभावित होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

17 फरवरी, 2020

संख्या-13/आई०पी०एस०-106/2020- 843 /श्री धनंजय कुमार सिंह, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक, (एस०आई०बी०), विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 10.02.2020 से 07.03.2020 तक कुल-27 (सताईस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. उक्त अवधि के लिए श्री सिंह, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

17 फरवरी, 2020

संख्या-13/आई०पी०एस०-112/2019- 844 /श्री अनिल पालटा, भा०पु०से०, अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशि०)-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग, कारपोरेशन, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11, 20 के तहत दिनांक-15.04.2020 से 01.05.2020 तक कुल-17 (सतरह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही उक्त अवधि में निजी व्यय पर विदेश (USA) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवधि के लिए श्री पालटा, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

17 फरवरी, 2020

संख्या-13/आई०पी०एस०-125/2019- 845 /श्री चन्दन कुमार सिन्हा, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 18.12.2019 से 28.12.2019 तक कुल-11 (ग्यारह) दिनों के उपार्जित अवकाश एवं दिनांक 29.12.2019 को रविवारीय अवकाश रहने के कारण इसे Suffix के रूप में अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवधि के लिए श्री सिन्हा, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

18 फरवरी, 2020

संख्या-13/आई०पी०एस०-108/2020- 884 /श्री सौरभ, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक, नगर, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 23.02.2020 से 15.03.2020 तक कुल-22 (बाईस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही दिनांक 01.03.2020 से 12.03.2020 तक कुल-12 (बारह) दिनों के लिए स्वयं के खर्च पर विदेश (इटली) एवं स्वीट्जरलैंड यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवधि के लिए श्री सौरभ, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

27 फरवरी, 2020

संख्या-13/आई०पी०एस०-105/2020- 1042 / श्री के०एन० चौबे, भा०पु०से०, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 27.01.2020 से 03.02.2020 तक कुल-08 (आठ) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवधि के लिए श्री चौबे, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

27 फरवरी, 2020

संख्या-13/आई०पी०एस०-102/2018- 1043 / श्री आलोक, भा०पु०से०, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, खूँटी को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 07.02.2020 से 07.03.2020 तक कुल-30 (तीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही उक्त अवधि में श्री आलोक को देश से बाहर ताईवान रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवधि के लिए श्री आलोक, भा०पु०से० को नियमित वेतन भुगतान किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

27 फरवरी, 2020

संख्या-13/आई०पी०एस०-101/2020-1044-- श्रीमती प्रिया दूबे, भा०पु०से०, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 30.12.2019 से 02.01.2020 तक कुल-04 (चार) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. उक्त अवधि के लिए श्रीमती दूबे, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

16 मार्च, 2020

संख्या-4/नि०सं०-12-90/2014 का. 1974-- श्रीमती कीर्तिबाला लकड़ा, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला- राँची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरकड़ा, हजारीबाग को दिनांक 22.06.2018 से 31.07.2018 तक (कुल-40 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

11 मई, 2020

संख्या-03/नि०सं०-09-05/2020का.2279-- सुश्री पूनम कच्छप, झा०प्र०से०, कार्यपालक दण्डाधिकारी, चाण्डिल, सरायकेला-खरसावाँ को दिनांक 03.03.2019 से दिनांक 28.07.2019 तक (कुल 148 दिनों का) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

4 फरवरी, 2020

संख्या-11/स्था०राज०-03/2019- 624 /विभागीय अधिसूचना संख्या-5957, दिनांक-01.11.2019 द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन कारा सेवा के चार पदाधिकारियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त अधिसूचना में अंकित विवरणी की कंडिका-4 (श्री किशोर लकड़ा, अधीक्षक, मंडल कारा, गुमला, सेवानिवृत्त) के सम्मुख स्तंभ-4 की प्रविष्टि को "द्वितीय एम०ए०सी०पी०, देय तिथि-13.12.2013" के स्थान पर "तृतीय एम०ए०सी०पी०, देय तिथि-13.12.2013" पढ़ा जाय।

उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय तथा इसके शेष अंश यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुबोध कुमार
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

31 जनवरी, 2020

संख्या-13/ई०-105/2018- 542 /सी०, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम-4(2) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन पुलिस महानिदेशक के वेतनमान Level-16 of Pay Matrix में महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची के पदनाम से दिनांक-31.07.2020 तक एक अतिरिक्त संवर्गीय पद सृजित करते हुए श्री वी०एच० देशमुख, भा०पु०से० (1986), सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को अगले आदेश तक महानिदेशक, रेल, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

22 जनवरी, 2020

संख्या-13/आई०पी०एस०-102/2019-406 /सुश्री सुजाता कुमारी वीणापाणि, भा०पु०से०, समादेष्टा, झा०स०पु०-04, बोकारो को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-11.02.2020 से 11.03.2020 तक कुल-30 (तीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही दिनांक-24.02.2020 से 05.03.2020 तक स्वयं के खर्च पर ग्रीस (विदेश) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

- उक्त अवधि के लिए सुश्री वीणापाणि, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

21 जनवरी, 2020

संख्या-13/पी०-103/2019- 374 /सी०, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) एवं 8(6) में निहित प्रावधान तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक-15.07.1985 को निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को दिनांक-01.01.2020 के प्रभाव से अपर पुलिस महानिदेशक [वेतनमान-Level-15 of Pay Matrix (अपुनरीक्षित वेतनमान- रु० 67000-79000)] कोटि में प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	बैच
1	श्रीमती संपत मीणा, भा०पु०से०	1994
2	श्री संजय आनन्द लाठकर, भा०पु०से०	1955

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

2 मार्च, 2020

संख्या-13/पी०-1-8002/2013 (खण्ड)- 1091 /सी०, पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री विपुल शुक्ला, भा०पु०से० (2002) अपने कार्यों के अतिरिक्त, नियमित पदस्थापन होने तक पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना**2 मार्च, 2020**

संख्या-06/अभि०-09/08/2017-1056 /महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची के कार्यालय के पत्रांक-5-APP-VI-19-1010, दिनांक-04.12.2019 द्वारा श्री रविन्द्र नारायण सिंह अष्ठाना, अपर लोक अभियोजक, गढ़वा के पक्ष में निर्गत उपार्जित अवकाश आदेयता प्रतिवेदन पत्र के आधार पर इनके द्वारा पुत्र के विवाह हेतु दिनांक-03.12.2019 से 17.12.2019 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिनों का उपभोगित उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दी जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव ।
